न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 22/2022
GCMS No. : 2022/96

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
आन्नद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		श्री जीवाराम कुम्हार पुत्र कानाजी कुम्हार मैसर्स गणपति एजेन्सी मैन बाजार सुमेरपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 26.08.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 17.02.2022 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स गणपति एजेन्सी मैन बाजार सुमेरपुर जिला पाली पर गया। फर्म पर अप्रार्थी उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की दुकान पर आम जन को ब्रिकी हेतु घी(ब्राण्ड शुभम) के 500 एम.एल. के 40 पैकेट रखे हुए थे, जिसमें मिलावट का शक हुआ, तब मौके पर प्रपत्र 5ए भरकर रूबरू गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कर तैयार किया गया। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएसए एक्ट के तहत ले रहा हुं, उक्त घी(ब्राण्ड शुभम) मे से 500 एम.एल. के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु 720/–रूपये में क्रय कर रसीद प्राप्त की जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सिरियल नम्बर, नाम, पता, वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित किये, जिसको घी के चारो नमुना पेकेट पर चिपकाया तथा लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1348 अंकित किया एवं नमूने का विवरण दर्ज कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी ने गवाह एवं विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई। उक्त सीलबन्द नमूना खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन कमांक एल.एस./566/एक्ट/2022/720 दिनांक 21.03.2022 में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान से लिया गया घी (ब्राण्ड शुभम) Sub Standrad पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standrad घी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही दोहरायी जायेगी एवं पुरी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

तरह से सावधानी बरती जायेगी। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.02.2022 को अप्रार्थी की फर्म से जांच हेतु खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड शुभम) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1348 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जाचं हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./566/एक्ट/2022/720 दिनांक 21.03.2022 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1348 को (Sub-standard) अमानक स्तर का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थी की फर्म से घी(ब्राण्ड सुभम) का नमुना लेने के उपरान्त शेष 860 लीटर घी (ब्राण्ड शुभम) को आगामी आदेश तक सीज कर दिया गया है। चुंकि प्रकरण में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा स्वीकारोक्ति के पश्चात किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड शुभम) Sub-standard का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी की फर्म पर सीज किया गया घी (ब्राण्ड शुभम) को नियमानुसार निस्तारण कर की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करावें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 26.08.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)